न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-186/PBR/12

प्र.क्र. 2012

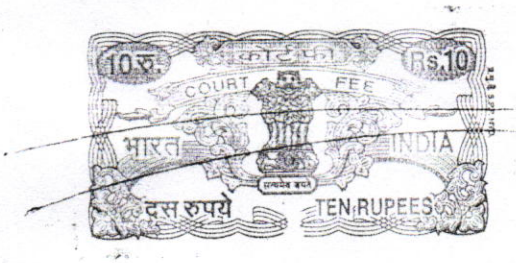

अशोक माथुर पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद माथुर दत्तक पुत्र मदन मोहन माथुर जाति कायस्थ,नि. एस.डी.एम.बंगलें के पीछे गंज वासौदा,जि.विदिशा म.प्र.

---------- प्रार्थी

विरूद्ध

1. रविन्द्र कुमार माथुर पुत्र श्री गिरजा प्रसाद माथुर चाचा वली गली,वार्ड नं.22,गंज वासौदा जि. विदिशा
2. अरूणा माथुर आयु 52 वर्ष पुत्री स्व.श्री माता प्रसाद माथुर,जाति कायस्थ, निवासी-ग्यारसपुर रोड़ विदिशा म.प्र.
3. नरेंन्द्र कुमार माथुर,
4. शैलेंन्द्र कुमार माथुर,
5. जीतेंन्द्र कुमार माथुर पुत्रगण स्व. श्री गिरजाप्रसाद माथुर निवासी चाचा वाली गली वार्ड नं.22 गंज वासौदा,जि.विदिशा म.प्र.
6. श्रीमति अनुपूर्णा,
7. श्रीमति अंकिता उर्फ अनीता,
8. सुमित्रा उर्फ सुनीता पुत्रीयां स्व.श्री गिरजाप्रसाद माथुर जाति कायस्थ,निवासीगण-चाचा वाली गली,गंज वासौदा जि.विदिशा म. प्र.
9. श्रीमति प्रभादेवी बेवा वीरेंन्द्र माथुर,
10. तरूण
11. सुरभि,
12. अरूण पुत्र व पुत्री वीरेंन्द्र माथुर जाति कायस्थ,नि.वार्ड नं. चाचा वाली गली,गंज वासौदा जि.विदिशा म.प्र.
13. श्रीमति मिथलेश कुमारी पुत्री स्व. श्री माताप्रसाद जी माथुर नि.चाचा

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 186 /पी0बी0आर/2012 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
20-1-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 145/2010-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11-1-12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह एंव श्री पी0के0तिवारी के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार बासोदा ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के आदेश से उभय पक्ष की विवादित भूमि को खुर्द-बुर्द करने से रोकने के उद्वेश्य से उन्हें रिसीवर नियुक्त किया गया, जिसके पालन में तहसीलदार वासोदा ने प्रकरण कमांक 607/10-11 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 23--7-11 से वाद विचारित भूमि के समस्त प्रशासन एंव हिसाव आदि रखने व आमदनी एंव व्यय सुरक्षित करने तथा माननीय व्यवहार न्यायालय के प्रति जबावदेह रहने के उद्वेश्य से स्वयं को कोर्ट आफ रिसीवर की हैसियत से सुपुर्दगी में ले ली। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।	

3/ अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 145/10-11 में सुनवाई के दौरान आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के अपील के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसे अंतरिम आदेश दिनांक 11-1-12 से निरस्त किया गया है। प्रकरण में यह देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार वासोदा के प्रकरण क्रमांक 607/10-11 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 23-7-11 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हुई है क्योंकि विचारण न्यायालय तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी प्रथम अपीलीय न्यायालय है यदि विचारण के पीठासीन अधिकारी ने किसी प्रकार का निर्णय लिया है अथवा आदेश पारित किया जाता है अपीलीय न्यायालय को अपील श्रवण करने का संहिता की धारा 44 में क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी वासोदा व्दारा आदेश दिनांक 11-1-12 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा व्दारा प्रकरण क्रमांक 145/2010-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11-1-12 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

सदस्य